रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258498
CG-DL-E-06112024-258498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946
No. 632] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 690(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू और प्रारंभ होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**3.** आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित दरों पर पराली जलाने वाले कृषकों पर पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत कर सकता है, अर्थात्:-

(क) दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषक, प्रति घटना के लिए पांच हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे;

(ख) दो एकड़ या उससे अधिक किन्तु पांच एकड़ से कम भूमि वाले कृषक, प्रति घटना के लिए दस हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे;

(ग) पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषक, प्रति घटना के लिए तीस हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे"।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के उप-नियम (4) में, "उप-नियम (4) में निर्दिष्ट अधिकारी" कोष्ठक, शब्दों और आंकड़ों के लिए, कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारी" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

4. उक्त नियमों के प्ररूप के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप

(नियम 3 और 4 देखें)

IndiaCode

चालान संख्या.....

तारीख: ../../....

चालान

राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 15 और राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 के अनुपालन में, नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार कृषक के पराली जलाने की सूचना मिली थी/की गई है या इस आशय का कोई साक्ष्य है कि उसकी भूमि में पराली जलाई गई है और परिणामस्वरूप अधिनियम और उल्लिखित नियमों के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण किया गया है, और उसे निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे पर्यावरणीय प्रतिकर को जमा करने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात्:-

1. कृषक का नाम:
2. मकान नंबर :
3. गली :
4. ग्राम :
5. डाकघर :
6. तहसील :
7. जिला :
8. राज्य :
9. संपर्क संख्या :
10. भूमि का नंबर खसरा, खेवत और खतौनी सहित भूमि का विवरण:

11. कृषक की भूमि का क्षेत्रफल, जिस पर पराली जलाई गई है: (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं)

(i)	2 एकड़ से कम		(ii)	2 से 5 एकड़ के बीच		(iii)	5 एकड़ से अधिक	

12. ऊपर नामित कृषक चालान की तारीख से तीस दिनों के भीतर पर्यावरणीय प्रतिकर संबन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति , जैसा भी हो , के पक्ष में, नकद या डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मोड के द्वारा _____ रुपये (शब्दों में _____ केवल) जमा कर सकता है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पता :

अधिकारी की मुहर :

संपर्क नंबर :

IndiaCode

[फा. सं. क्यू -15014/10/2021-सीपीए/इ-160523]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024

G.S.R. 690(E).— In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3.** The Commission may impose environmental compensation as per the provisions of the Act for stubble burning, at the following rates:-

(a) the Farmer having an area of land of less than two acres shall pay an environmental compensation of five thousand rupees, per incidence;

(b) the Farmer having an area of land of two acres or more but less than five acres shall pay an environmental compensation of ten thousand rupees, per incidence;

(c) the Farmer having an area of land of more than five acres shall pay an environmental compensation of thirty thousand rupees, per incidence.".

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 4, for the bracket, words and figures "The officer referred to in sub-rule (4)", the bracket, words and figures "The officer referred to in sub-rule (3)" shall be substituted.

4. For the Form to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM
(See rule 3 and rule 4)

Challan No…… Dated: ../../….

CHALLAN

In pursuance of the section 15 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) and the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023, the Farmer described below was found/ has been reported to burn stubble or there is an evidence to the effect that Stubble Burning has happened in his land, and consequently Environmental Compensation has been imposed as per the Act and the rules mentioned above, and is directed to deposit such Environmental Compensation as per the following details, namely:-

IndiaCode

1. Name of the Farmer:
2. House No. :
3. Street :
4. Village :
5. Post Office :
6. Tehsil :
7. District :
8. State :
9. Contact No. :
10. Details of land including Khasra, Khewat and Khatoni number of the land:
11. The area of land of the farmer who has resorted to stubble burning: (tick the appropriate box)

i	Less than 2 acres		ii	Between 2 to 5 acres		iii	More than 5 acres	

The Farmer named above may deposit the Environmental Compensation of Rupees _____ (in words _____ only), through Cash or Demand Draft or through electronic mode in the account of respective State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be within thirty days from the date of Challan.

Signature :
Name :
Designation :
Address :
Seal of the Officer:
Contact No :

[F. No. Q-15014/10/2021-CPA/(e-160523)]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 322(E), dated the 28th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.06 21:35:45 +05'30'